प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 23 फरवरी 2023

विषयः मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्रा0लि0 की बैंक गारण्टी अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत केस-टू-केस आधारित वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य किये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त निर्गत आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2362/78-1-2020-03आईटी/2020, दिनांक 14 दिसम्बर 2020 के प्रस्तर-2 (c) एवं (e) निम्नवत् उद्धृत हैं:-

(c) नीति के अनुसार मेसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0लि0 (मेसर्स एस0आई0ई0एल0) द्वारा मेसर्स एस.डी.एन. को हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

(e) मेसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0लि0 (मेसर्स एस0आई0ई0एल0) द्वारा मेसर्स एस.डी.एन. को हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि पर जिन नये भवनों का निर्माण भूमि हस्तान्तरण से पूर्व कर लिया गया है, उनकी लागत को स्टाम्प शुल्क की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

2- इस प्रकार मेसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0 लि0 (मेसर्स एस0आई0ई0एल0) द्वारा मेसर्स एस0डी0एन0 (मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड) को हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि हेतु स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने का शासन का आशय स्पष्ट था।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड (एस0डी0एन0) द्वारा पूर्व में मेसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0लि0 (मेसर्स एस0आई0ई0एल0) द्वारा प्राप्त की गई भूमि अपनी परियोजना हेतु ली गई है तथा इससे सम्बन्धित लेख-पत्र दिनांक 12 फरवरी 2021 को निष्पादित/पंजीकृत हुए हैं। इस लेख-पत्र के निबन्धन के लिए स्टाम्प ड्यूटी से छूट हेतु रु0 8,49,80,000/- की बैंक गारण्टी दिनांक 18 दिसम्बर 2020 को निवेशक द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

4- मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्रा0लि0 की बैंक गारण्टी की वापसी की प्रक्रिया के दौरान यह देखा गया है कि उक्त लेख-पत्र भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 के आर्टिकल 63 के अन्तर्गत आता है जोकि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2, उ0प्र0 की अधिसूचना दिनांक 12 फरवरी 2018 में प्राविधानित Conveyance under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35 से भिन्न है।

5- अतः स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-02, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-924/94-स्टा0नि0-2-2022-यू0ओ0-33/2021, दिनांक 06.09.2022 के साथ संलग्न आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-2862/स्टाम्प विविध सैमसंग/2022, दिनांक 05.09.2022 में प्राप्त परामर्श एवं मा0 मंत्रिपरिषद के आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2023 के क्रम में एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि भूमि पर देय स्टाम्प शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रस्तुत प्रकरण में हस्तान्तरण पर भी देय होगी।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्रा0लि0 द्वारा लेख-पत्र दिनांक 12 फरवरी 2021 के निबन्धन के लिए स्टाम्प ड्यूटी से छूट हेतु दिनांक 18 दिसम्बर 2020 को उपलब्ध कराई गई रु0 8,49,80,000/- की बैंक गारण्टी निवेशक को वापस किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-5/2023/207(1)/78-1-2023तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
3 उपायुक्त उद्योग, गौतमबुद्ध नगर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4 सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्रा0लि0 के पत्र दिनांक 24-05-2022 के संदर्भ में।

5 गृह गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के अर्द्धशा0 पत्र संख्या-4/2/1/2023-सी0एक्स0(1), दिनांक 28 जनवरी, 2023 में प्राप्त आदेशों के क्रम में।

6 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
वी0पी0 नागेश
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।